न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2025/294
मुकदमा नम्बर 82/2025 दायर दिनांक–28.05.2025

मेहर सिंह पुत्र श्री झाबर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम खिरोड,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं

...........आवेदकगण

बनाम

1. केशर पुत्री मूलाराम
2. जगदीश पुत्र मूलाराम
3. जयपाल सिंह पुत्र मूलाराम
4. दयानन्द पुत्र लेखूराम
5. दानाराम पुत्र लेखूराम
6. बिमला पुत्री मूलाराम
7. मनभरी पुत्री मूलाराम
8. महेश पुत्र मूलाराम
9. रणजीत सिंह पुत्र मूलाराम
10. श्रीचन्द पुत्र लेखूराम
11. सुनिता पुत्री मूलाराम
12. सम्पति पुत्री मूलाराम
13. भूराराम पुत्र झाबरमल समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम खिरोड ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं
14. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

..........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक–श्री सज्जन चाहर
अनावेदक सं. 1 लगा. 13 – एक पक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

:—निर्णय—:

दिनांकः—29 / 09 / 2025

यह प्रा0 पत्र आवेदकगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम खिरोड पटवार हल्का खिरोड में स्थित खाता सं. नया 716 पुराना 558 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 336 रकबा 2.05 मे आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार खसरा नं. 338 में से होकर खसरा नं. 336 तक ए से बी बिन्दु तक 10 फीट चौडा व 1000 फीट लम्बा रास्ता कायम कर दर्ज रिकार्ड करने के आदेश करे।

प्रा. पत्र में तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 1 लगा. 13 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे अतः इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अनावेदक सं. 14 की और से पैरो. राज उपस्थित हो तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक/40 दिनांक 23.06.2025 पेश की गई, जिसके अनुसार खातेदार वादी व प्रतिवादी सं. 13 को अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 336 तक राजकीय कटानी रास्ता का अभाव है तथा इसकी आवश्यक्ता भी है। वर्णित भूमि के सम्बन्ध में लघुतम व निकटतम अन्य कोई रास्ता नही है। रास्ते को नजरी नक्शे मे बिन्दू ए से बी तक दर्शाया गया है। खसरा नं. 338 रकबा 0.10 है0 मौके पर प्रचलित रास्ते के रूप में चालू है। अतः बिन्दू सं. ए से बी तक खसरा नं. 338 रकबा 0.10 है0 को राजकीय रास्ता मे दर्ज किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक पहुॅचने के लिये रास्ते का अन्य कोई विकल्प नही है तथा अपनी कृषि जोत मे आने जाने के लिये रास्ते की परमआवश्यक्ता है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे निकटतम व लघुतम है जाहिर होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खिरोड पटवार हल्का खिरोड में स्थित खाता सं. नया 716 पुराना 558 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 336 रकबा 2.05 मे आने जाने के लिये मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक/40 दिनांक 23.06.2025 तथा उसके साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार बिन्दू सं. ए से बी तक खसरा नं. 338 रकबा 0.10 है0 को गै.मु. सिवायचक रास्ता मौके पर कायम किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। ख.नं. 338 के खातेदार काश्तकारों को रास्ते से प्रभावित भूमि के लिये, डीएलसी दर की दोगुनी राशि उनके हिस्से अनुसार आवेदकगण से दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावें। सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/40 दिनांक 23.06.2025 तथा उसके साथ पटवारी रिपोर्ट मय नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश मौके पर रास्ता कायम करवाया जाकर, राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर दिया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुझुंनू

27/6/25

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार नवलगढ जिला–झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 2025 / 40 दिनांक 23.6.25

प्रेषितः–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
नवलगढ, जिला–झुंझुनूं।

Rev. 24.6.25

विषयः–मुकदमा नंबर **82 / 2025** प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 (क)** उनवान प्रकरण **मेहर सिंह बनाम केशर** आदि प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंगः– श्रीमान जी के पत्रांक / राजस्व / तहरीर / 25 / 353 दिनांक 28.05.2025।

महोदय,

R. 570 24.6.25

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि मुकदमा नंबर **82 / 2025** उनवानी प्रकरण **मेहर सिंह बनाम केशर** आदि में प्रश्नगत्त भूमि एवं रिकोर्ड की वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट श्रीमानजी के आदेशिका की पालना में मौका रिपोर्ट **भू–अभिलेख निरीक्षक बसावा एवं पटवारी हल्का खिरोड़** से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त की गई, प्राप्त रिपोर्ट मूल ही श्रीमानजी की सेवामें आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। ,

तहसीलदार नवलगढ
तहसीलदार नवलगढ़

रिपोर्ट भू०अ० निरीक्षक बसावा

ग्रामें,

श्रीमान् तहसीलदार साहब,
नवलगढ़।

विषय:- अनवानी प्रकरण मेहर सिंह V/S केशर मुकदमा No. 82/2025, धारा 251 क में तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपके आदेश क्रमांक : राजस्व/2025/553 दिनांक 6/6/2025 के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि अनवानी प्रकरण मेहर सिंह V/S केशर मुकदमा No. 82/2025 धारा 251 क की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड से निम्नानुसार है :-

ग्राम रबिरोड़ के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में स्थित भूमि खसरा नम्बरान $\frac{324}{2.58}$, $\frac{325}{0.02}$, $\frac{326}{2.78}$, $\frac{338}{0.10}$ किता-3 रकबा 5.48 हैक्टयर की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी No. 1 लक्ष्मण 12 की है। तथा ग्राम रबिरोड़ के भूमि खसरा नम्बरान $\frac{336}{2.0500}$, $\frac{337}{0.04}$ किता-2 कुल रकबा 2.09 हैक्टयर की खातेदारी वादी मेहर सिंह पुत्र झाबर सिंह तथा प्रतिवादी No. 13 के पुत्र हरसा S/O मुरारामं तथा वादी के भाई जुगल लाल पुत्र झाबर सिंह के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है।

वादी व प्रतिवादी No. 13 अपनी कृषि भूमि पर मकान बनाकर आबाद है, इसलिए अपनी भूमि खसरा No. 336 व 337 की बुवाई जुताई व आवागमन हेतु कार्यवाही रास्ता की आवश्यकता है। वर्तमान मौका स्थिति में वादी व प्रतिवादी No. 13 ग्राम रबिरोड़ के भूमि खसरा No. 338 रकबा 0-10 हैक्टयर किस्म्या... जो प्रतिवादी No. 1 लक्ष्मण 12 की खातेदारी भूमि का रास्ता हेतु उपयोग करते है। खसरा No. 338 राजस्व नक्शा में रास्ता के रूप में ही नजर आता है। मौके पर वर्तमान में चालू अवस्था में है। भूमि खसरा No. 338 रकबा 0-10 हैक्टयर प्रतिवादी No. 1 लक्ष्मण 12 की खातेदारी में होने के कारण विवाद होने पर बन्द होने की आशंका है। इसलिए वादी No. 1 व प्रतिवादी No. 13 इस रास्ता को राजकीय ग्रा० मु० रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। इसका नजरी नक्शा निम्नानुसार है।

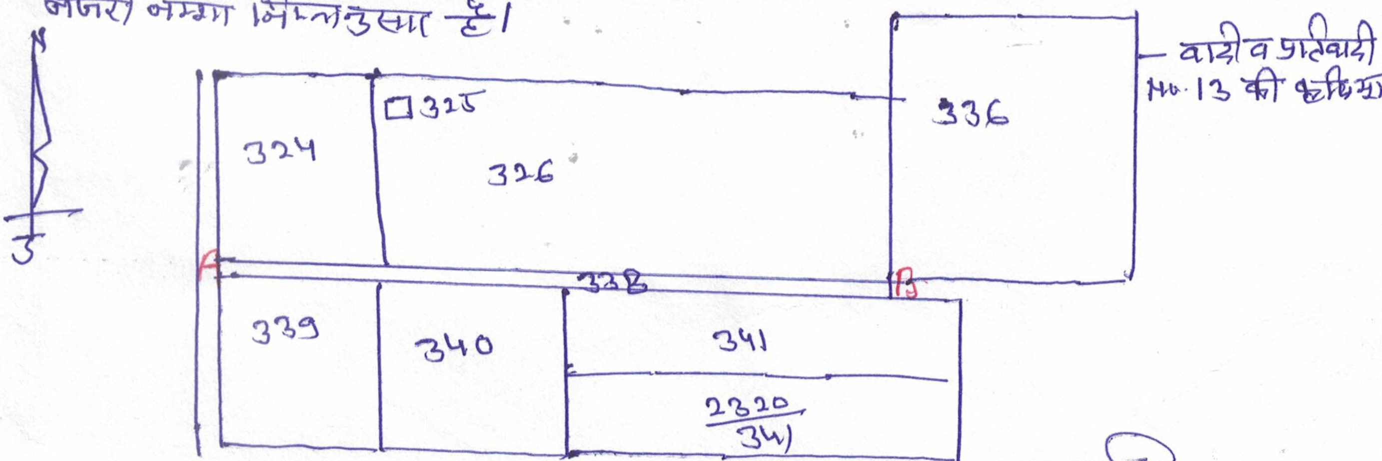

P.T.O.

नजरी नक्शा में रास्ता को 'A' बिन्दु से 'B' बिन्दु तक दर्शाया गया है।

1. खातेदार अर्थात वादी व प्रतिवादी No.13 को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 336 तक राजकीय कयानी रास्ता का अभाव है तथा इसकी आवश्यकता भी है।

2 वर्णित भूमि के सम्बन्ध में लघुतम / निकटतम अन्य कोई रास्ता नहीं है।

3 अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता कयानी नहीं है।

इस रास्ता की लम्बाई 300 मीटर तथा चौड़ाई 3.33 मीटर = 1000 वर्गमीटर है।

मौके पर बिन्दु 'A' से 'B' तक जो नजरी नक्शे में रास्ते के रूप में दर्शाया गया है जिसका खसरा नम्बर 338 रकबा 0-10 हैक्टेयर है। जो मौके पर प्रचलित रास्ता के रूप में चालू अवस्था में है। यह रास्ता प्रतिवादीगणों तक अन्य काश्तकारों को अपनी कृषि भूमि में भी आने जाने के काम आता है।

अतः बिन्दु 'A' से बिन्दु 'B' तक खसरा नम्बर 338 रकबा 0-10 हैक्टेयर को राजकीय रास्ता में दर्ज किया जाना उचित होगा। अतः उनवानी प्रकरण की मौका व रिकॉर्ड से जांच कर जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भूमि खसरा नम्बर 338 रकबा 0-10 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 05 तथा 8 लगायत 10 का हिस्सा अलग-अलग बैंकों में रहन शुदा है। जमाबंदी की नकल रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

भू.अ. रजवा
16/6/2025